रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 1970/अग्रहायण 24, 1892

No. 208] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 1970/AGRAHAYANA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th December 1970

G.S.R. 2011.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 131/70-Central Excises, dated the 2nd June, 1970, namely:—

In the said notification—

(a) before the Explanation, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the condition regarding the manufacturer selling in public auction not less than fifty per cent of the quantity of loose tea manufactured in the factory shall not apply to a bought-leaf factory:

Provided further that the rate of duty (seventy paise per kilogram) leviable on loose tea manufactured in a factory owned by a Co-operative Society registered under any law relating to Co-operative Societies shall be reduced by ten per cent.";

(b) in the Explanation, after item (ii), the following item shall be inserted, namely:—

"(iii) the expression "bought-leaf factory" means a tea factory which has purchased not less than two-thirds of its green-leaf from outside sellers during the financial year 1963-64 and in the financial year immediately preceding that in which the duty is levied.".

[No. 177/70/C.E.F. No. B 6/5/70CX II/3.]

P. R. KRISHNAN,
Under Secy.

वित्त मन्त्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर 1970

सा० का० नि० 2011.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 131/70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 जून, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में—

(क) स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

"परन्तु यह शर्त, कि कारखाने में विनिर्मित खुली चाय की मात्रा का पचास प्रतिशत से अन्यून विनिर्माता द्वारा सार्वजनिक नीलाम में बेचा जाएगा, पत्ती-क्रेता कारखाने को लागू नहीं होगी।

परन्तु यह और कि सहकारिता सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी के स्वामित्वाधीन किसी कारखाने में विनिर्मित खुली चाय पर उद्ग्रहणीय शुल्क की दर (सत्तर पैसे प्रति किलोग्राम) में दस प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी।" ;

(ख) स्पष्टीकरण में, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(iii) "पत्ती-क्रेता कारखाना" पद से वह चाय कारखाना अभिप्रेत है जिसने 1963-64 का वित्तीय वर्ष के दौरान और जिस वर्ष में शुल्क उद्गृहीत किया जाए उससे ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अपनी हरी-पत्ती के दो-तिहाई से अन्यून का क्रय बाहरी विक्रेता से किया हो।"

[सं० 177/70-सी०ई० फा० सं० बी० 6/5/70-सी एक्स II/3]

पी० आर० कृष्णन, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970